कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

संचिका संख्या– मो० –49/15(सांख्यिकी) 1844 /कृ०, पटना, दिनांक 02 मई, 2017

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला कृषि पदाधिकारी।

विषय : **गेहूँ एवं अन्य फसलों को काटने के बाद उस खेत में बचे हुए अवशेष को जलाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सूचित करना है कि राज्य के जिलों से गेहूँ एवं अन्य फसलों के कटनी के पश्चात खेत में बचे हुए अवशेष (खुंटी) को जलाने की सूचना प्राप्त हो रही है। इनको खेत में जलाने से उर्वरा शक्ति तो घटती हीं है साथ हीं साथ आस पास के गाँवों में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा पुरे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खेत में आग लगने से लाभकारी सूक्ष्मजीव जो फसल के पौधों को बढ़ाते हैं, मर जाते हैं एवं खेत की जलधारण की क्षमता घट जाती है। किसान भाई को इन सूक्ष्मजीवी एवं पोषक तत्व को पुनः बाजार से खरीदना पड़ता है। इसके साथ ही इस आग से आगलगी की भी घटनाएँ घटने की संभावना होती है।

अतः अनुरोध है कि कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कर किसानों को अवशेष को जलाने से रोकने का अनुरोध किया जाय। जिस किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक के क्षेत्र में अगर खेत में कटनी के बाद अवशेष में आग लगाने की जानकारी प्राप्त होती है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाय। ध्यान रहे कि खेत में बचे हुए अवशेष को कोई भी किसान जलाने का प्रयास नहीं करें।

इसे दृढ़ता से पालन किया जाय।

विश्वासभाजन
2.5.17
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1844 दिनांक : 02-5-17

प्रतिलिपि : उप निदेशक(शष्य), सूचना, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.5.17
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।